भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3861

दिनांक 16 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाओं का मूल्य निर्धारण

3861. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक दवाओं के मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाई गई पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ख) नई औषधि नीति के कारण आवश्यक दवाओं के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची से सरकारी अस्पतालों और निजी क्लीनिकों के डॉक्टर दवा लिख रहे हैं, क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने मूल्य-आधारित मूल्य निर्धारण सूत्र पर अडिग करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निदेशों का क्रियान्वयन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क): राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ) की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अनुसूचित दवाइयों के अधिकतम मूल्य और डीपीसीओ के पैरा 4, 5 और 6 के प्रावधानों के अनुसार नई दवाओं (डीपीसीओ के पैरा 2(प) में यथापरिभाषित) के खुदरा मूल्य निर्धारित करता है। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 (डीपीसीओ) के अन्तर्गत, अनुसूचित दवाइयों के अधिकतम मूल्य का निर्धारण बाजार आधारित आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दवाइयों के सभी ब्रांडों और जेनरिक रूपों का खुदरा विक्रेताओं को साधारण औसत मूल्य (पीटीआर) शामिल है, जो उस दवाई के सचल वार्षिक कारोबार के आधार पर कुल बाजार कारोबार के 1 प्रतिशत के बराबर अथवा इससे अधिक का बाजार हिस्सा रखते हैं। किसी विशिष्ट दवा के लिए खुदरा विक्रेता को दिए गए साधारण औसत मूल्य (पीटीआर) पर 16 प्रतिशत मार्जिन जोड़कर अधिकतम मूल्य निकाला जाता है। जैसा कि डीपीसीओ के अन्तर्गत व्यवस्था है, वास्तविक आधार पर जहां कहीं भी लागू होगा, स्थानीय करों, यदि वास्तव में भुगतान किया है, को दवाइयों का अधिकतम खुदरा मूल्य निकालने के लिए अधिकतम मूल्य में जोड़ा जाएगा।

(ख): राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची, 2011 (एनएलईएम, 2011) में विनिर्दिष्ट सभी दवाइयों को मूल्य विनियमन के उद्देश्य से डीपीसीओ की अनुसूची-I में शामिल किया गया था। एनपीपीए ने बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली के आधार पर 530 अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए। मूल्य निर्धारण से पूर्व व्याप्त अधिकतम मूल्य की तुलना में (डीपीसीओ) के अंतर्गत अधिकतम मूल्य के निर्धारण के कारण प्रभावी अनुसूचित सम्मिश्रणों के मूल्यों में कमी का ब्यौरा इस प्रकार है:-

अधिकतम मूल्य के संबंध में कमी (प्रतिशत में)	सम्मिश्रणों की संख्या
0-5%	80
5-10%	50
10-15%	57
15-20%	43
20-25%	65
25-30%	49
30-35%	26
35-40%	34
40% से अधिक	126
एनएलईएम 2011 में कुल सम्मिश्रण	**530**

इसके अलावा, एनएलईएम, 2015 को अपनाते हुए डीपीसीओ की अनुसूची-I को संशोधित किया गया था। तदनुसार, एनपीपीए ने बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली के आधार पर 857 अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए। मूल्य निर्धारण से पूर्व व्याप्त अधिकतम मूल्य की तुलना में डीपीसीओ के अंतर्गत अधिकतम मूल्य के निर्धारण के कारण प्रभावी अनुसूचित सम्मिश्रणों के मूल्यों में कमी का ब्यौरा इस प्रकार है:-

अधिकतम मूल्य के संबंध में कमी (प्रतिशत में)	सम्मिश्रणों की संख्या
0-5%	234
5-10%	138
10-15%	98
15-20%	100
20-25%	93
25-30%	65
30-35%	46
35-40%	24
40% से अधिक	59
एनएलईएम 2015 में कुल सम्मिश्रण	**857**

(ग): राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई आवश्यक दवाइयों की एक सूची है। भारतीय *आयुर्विज्ञान परिषद* (*व्यावसायिक आचरण*, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियम, 2002 में परिभाषित है कि "प्रत्येक चिकित्सक द्वारा स्पष्ट एवं मुख्य रूप से मोटे अक्षरों में जेनेरिक नाम की दवाइयों का नुस्खा लिखा जाना चाहिए और वह दवाइयों का युक्तिसंगत नुस्खा लिखा जाना और उपयोग सुनिश्चित करें।" अप्रैल, 2017 में, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा/सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव/राज्य चिकित्सा परिषदों/निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं को उपर्युक्त विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायियों को निदेश देने हेतु अनुदेश जारी किए थे।

(घ) और (ङ): लागत-आधारित मूल्य निर्धारण फार्मूला पर अडिग रहने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई निदेश नहीं है।

*****